संख्या-2023/001-2557422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 31/07/2023

विषयः- जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में निर्मित क्रिकेट पैवेलियन को जनोपयोगी बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-531/नि0 अयोध्या स्टे0 पत्रा0/2023-24 दिनांक 31.07.2023 एवं शासनादेश संख्या-2023/001-3053422022A, दिनांक 28 मार्च, 2023 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में निर्मित क्रिकेट पैवेलियन को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था- सी0 एण्ड डी0 एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन को आंकलित करते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रायोजना की लागत रू0 4854.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-26-जनपद अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 2,00,00,000/- एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि रू0 3,00,00,000/- की व्यवस्था करते हुए कुल धनराशि रू0 5,00,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-26-जनपद अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख में से उक्त प्रायोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 19,27,13,000 (रुपये उन्नीस करोड़ सत्ताईस लाख तेरह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 19,27,13,000 (रुपये उन्नीस करोड़ सत्ताईस लाख तेरह हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करते हुए वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत प्रयोजना का गठन उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद अयोध्या की वर्ष 2022 की अनुसूची दर एवं डी0एस0आर0 वर्ष 2021 के आधार पर किया गया है। जो दरें अनुसूची दरों में उपलब्ध नहीं है उसे कोटेशन/बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।

(4) प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रस्तावित लागत रू0 25.00 लाख को अनुमन्य किया गया है। इसका विस्तृत आगणन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से वास्तविकता के आधार पर प्राप्त कर भुगतान किया जाय।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य यथा-रखरखाव उपकरण बाट आउट कार्य की लागत बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा ।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय ।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।

(12) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(13) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(14) निदेशक, खेल /कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(17) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(18) निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(19) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(20) कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल द्वारा नियमानुसार लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(21) निदेशक, खेल द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 17.03.2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(23) निदेशक, खेल द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(25) शासनादेश संख्या-2023/001-3053422022A, दिनांक 28 मार्च, 2023 एवं पूर्व में निर्गत अन्य शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,27,13,000 (रुपये उन्नीस करोड़ सत्ताईस लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038002600 जनपद अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2023/001-2557422023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, अयोध्या।
6- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
7- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-44,सी0 एण्ड डी0 एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, अयोध्या।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
विनीत प्रकाश
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।